

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम आधारभूत तथ्य

क्र सं	मद	अप्रैल-मार्च	
		2017-18	2018-19
1-	सम्पूर्ण प्रदेश में पक्की सड़कों की लम्बाई (कि०मी०) *	240854	240854
	प्रदेश में राष्ट्रीयकृत मार्गों की भुद्ध लम्बाई (कि०मी०)	17729	17729
	कुल पक्की सड़क कि०मी० में राष्ट्रीयकृत मार्ग कि०मी० का प्रति ात	7.36	7.36
2-	निगम में बसों की माध्य संख्या		
	— निगम	9233	9088
	— अनुबंधित	2910	2792
	— योग	12143	11880
3-	मार्गों की संख्या	2933	2979
	कुल मार्ग दूरी (लाख कि०मी० में)	7.57	7.65
	औसत मार्ग दूरी (कि०मी०)	258	257
4-	क्षेत्र	20	20
	डिपो	115	115
	कार सेक्शन	1	1
	केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर	2	2
	प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर	1	1
	टायर रिट्रीडिंग संयंत्र	11	11
5-	बस स्टेशन — निगम के भवनों में	263	266
	— किराये के भवनों में	28	27
6-	यात्रियों की संख्या (करोड़ में)	62.58	60.16
	प्रति यात्री तय की गयी औसत दूरी (कि०मी० में)	78	78
7-	कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी (दैनिक वेतन भोगी सहित)	22633	21156

दैनिक संचालन विवरण

क्र सं	मद	अप्रैल-मार्च	
		2017-18	2018-19
1	संचालित बस कि०मी० (लाख में)	40.86	39.65
2	ले जाये गये यात्री (लाख में)	17.15	16.48
3	कुल आय (₹ लाख में)	1222.69	1260.65
4	कुल व्यय (₹ लाख में)	1189.07	1249.73
5	लाभ/हानि (₹ लाख में)	33.61	10.92

* सार्वजनिक निर्माण विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित 31.3.18 की स्थिति अनुसार



वर्ष 2018–2019 एक दृष्टि में

1. बसों की संख्या 994 नई बसें बस बेड़े में सम्मिलित की गईं। वर्ष के अन्त में बस बेड़े में स्वयं की 9586 तथा 2719 निजी अनुबन्धित बसें रहीं।
2. बस बेड़ा उपयोग वर्ष में 97% बसें आनरोड रहीं।
3. बस उपयोगिता 334 कि०मी० प्रति बस प्रतिदिन अर्जित की गई।
4. लोड फैक्टर (%) 69% प्राप्त किया गया।
5. आय ₹ 4601.38 करोड़ की आय अर्जित की गई।
6. व्यय कुल व्यय को ₹ 4561.53 करोड़ तक सीमित रखा गया।
7. लाभ/हानि (अनन्तिम) ₹ 39.85 करोड़ का लाभ हुआ। वर्ष में ₹ 216.38 करोड़ का नकद लाभ हुआ।
8. बस स्टाफ अनुपात 4.02 कर्मचारी प्रति बस कार्यरत रहे (नियमित व संविदा जोड़कर)।
9. ईंधन माध्य एवं टापिंग अप माध्य ईंधन माध्य 5.21 कि०मी० प्रति लीटर तथा टापिंग अप माध्य 3792 कि०मी० प्रति लीटर प्राप्त हुआ।
10. नई बसों का निर्माण केन्द्रीय कार्यशालाओं में 500 नयी बसें बनायी गयीं। 494 नई बसों का वाह्य स्रोत से निर्माण कराया गया। 19 पुरानी बसों का जीर्णोद्धार भी किया गया।

वर्ष 2019–2020 (अप्रैल–दिसम्बर) एक दृष्टि में

1. बसों की संख्या 64 नई बसें बस बेड़े में सम्मिलित की गईं। अवधि के अन्त में बस बेड़े में स्वयं की 9142 तथा 2608 निजी अनुबन्धित बसें रहीं।
2. बस बेड़ा उपयोग वर्ष में 97% बसें आनरोड रहीं।
3. बस उपयोगिता 336 कि०मी० प्रति बस प्रतिदिन अर्जित की गई।
4. लोड फैक्टर (%) 69% प्राप्त किया गया।
5. आय (अनन्तिम) ₹ 3496.74 करोड़ की आय अर्जित की गई।
6. व्यय (अनन्तिम) कुल व्यय को ₹ 3389.17 करोड़ तक सीमित रखा गया।
7. लाभ/हानि (अनन्तिम) ₹ 107.57 करोड़ का लाभ हुआ। ₹ 250.64 करोड़ का नकद लाभ हुआ।
8. बस स्टाफ अनुपात 3.91 कर्मचारी प्रति बस कार्यरत रहे (नियमित व संविदा जोड़कर)।
9. ईंधन माध्य एवं टापिंग अप माध्य ईंधन माध्य 5.21 कि०मी० प्रति लीटर तथा टापिंग अप माध्य 4052 कि०मी० प्रति लीटर प्राप्त हुआ।
10. नई बसों का निर्माण इस अवधि में कुल 64 नई बसों का वाह्य स्रोत से निर्माण कराया गया। 6 पुरानी बसों का जीर्णोद्धार भी किया गया।



संगठन

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत परिवहन का विकास प्रदेश के बहुमुखी विकास में परिवहन व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राष्ट्रीयकृत परिवहन व्यवस्था के अन्तर्गत सर्वप्रथम 15 मई 1947 को लखनऊ-बाराबंकी मार्ग पर उ.प्र. राजकीय रोडवेज द्वारा बस संचालन प्रारम्भ किया गया। राष्ट्रीयकृत बस संचालन प्रारम्भ करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की जनता को कुशल एवं सस्ती परिवहन सेवा सुलभ कराना था।

राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष में उत्तर प्रदेश भासन द्वारा सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 की धारा-3 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज को 1 जून, 1972 से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में गठित कर दिया गया।

निगम की स्थापना के उद्देश्य निगम की स्थापना निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की गयी—

- 1- सड़क परिवहन के विकास द्वारा जनता, व्यापार और उद्योग को पहुँचाये जाने वाले फायदों में वृद्धि;
- 2- सड़क परिवहन की किसी अन्य प्रकार के परिवहन से समन्वय की वांछनीयता;
- 3- किसी क्षेत्र में सड़क परिवहन सुविधाओं को विस्तृत करने और उसमें सुधार करने तथा वहाँ पर दक्ष एवं मितव्ययी सड़क परिवहन प्रणाली की व्यवस्था करने की वांछनीयता।

निगम के कर्तव्य सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 की धारा-18 में निगम के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार निगम का कर्तव्य दक्ष, पर्याप्त, मितव्ययी और उचित तौर से समन्वित सड़क परिवहन सेवा प्रणाली का प्रबन्ध एवं उसमें अभिवृद्धि करना है।

निगम और निदेशक मण्डल का गठन सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 की धारा-5 सपठित उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम नियमावली, 1972 के नियम 3 व 4 के अन्तर्गत गठित है। दिनांक 30.10.2003 को उ०प्र० व उत्तरांचल राज्य के पुनर्गठन अनुसार निगम का पुनर्गठन कर दिया गया तथा उत्तरांचल में आने वाले निगम के पूर्ववर्ती 3 क्षेत्रों (नैनीताल, टनकपुर व देहरादून) को हस्तांतरित कर दिया गया।

उद्देश्य:—निगम के कार्यकलाप और कार्य प्रणाली का समन्वय, अधीक्षण, निर्देशन एवं प्रबन्धन।



निदेशकों की संख्या व नियुक्ति—

निदेशक मण्डल में अध्यक्ष के अतिरिक्त न्यूनतम 5 व अधिकतम 17 निदेशकों की नियुक्ति का प्राविधान है। इनमें से 1/3 केन्द्र सरकार व 2/3 राज्य सरकार के प्रतिनिधियों का प्राविधान है। निदेशकों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित की जाती है।

निगम का वर्तमान निदेशक मण्डल

- | | |
|---|---------|
| 1. अध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम | अध्यक्ष |
| 2. प्रमुख सचिव,
परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा
नामित प्रतिनिधि | निदेशक |
| 3. संयुक्त सचिव, (परिवहन)
सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग
भारत सरकार, नई दिल्ली अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि | निदेशक |
| 4. प्रमुख सचिव,
वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित
प्रतिनिधि | निदेशक |
| 5. प्रमुख सचिव,
नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा
नामित प्रतिनिधि | निदेशक |
| 6. महानिदेशक,
सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके
द्वारा नामित प्रतिनिधि | निदेशक |
| 7. निदेशक,
भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ अथवा उनके द्वारा नामित
प्रतिनिधि | निदेशक |
| 8. प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ | निदेशक |
| 9. अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन),
कार्यालय परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ | निदेशक |



निगम की संगठनात्मक संरचना

- 1- परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
- 2- क्षेत्र व डिपो।

क्र.सं.	क्षेत्र	डिपोज की संख्या
1-	आगरा	6
2-	गाजियाबाद	8
3-	मेरठ	5
4-	सहारनपुर	6
5-	अलीगढ़	7
6-	मुरादाबाद	8
7-	बरेली	4
8-	हरदोई	6
9-	इटावा	6
10-	कानपुर	6
11-	झांसी	2
12-	लखनऊ	7
13-	अयोध्या	4
14-	देवीपाटन	3
15-	चित्रकूट	4
16-	प्रयागराज	8
17-	आजमगढ़	7
18-	गोरखपुर	8
19-	वाराणसी	8
20-	नोएडा	2
20 क्षेत्र		115 डिपो

3-कार सेक्शन, लखनऊ।

4-केन्द्रीय कार्यशाला, रावतपुर एवं डा० राम मनोहर लोहिया कार्यशाला, कानपुर।

5-प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर।

6-टायर रिट्रीडिंग संयंत्र-आगरा, गाजियाबाद, सहारनपुर, बरेली, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़ तथा इटावा।

